MUNICIPAL CORPORATION OF BHILAI

NIT

कार्य का नाम – निगम क्षेत्र के लिये सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने का कार्य।

क्र.	श्रमिक	संख्या	दिवस	दर (प्रति दिवस)
1	कुशल	1	190	
2	अकुशल	14	190	

Asst. Engineer
Municipal Corporation
Bhilai

Sub Engineer
Municipal Corporation
Bhilai

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

//नियम एवं शर्ते//

विषय :– निगम क्षेत्र में सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने का कार्य।

1. निविदा दर के साथ सिक्यूरिटी संस्था के पोलीस मुख्यालय द्वारा जारी पसारा लायसेंस की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
2. यह कि 01 सीनियर गार्ड (सहायक सुरक्षा अधिकारी) एवं 14 सुरक्षा गार्ड तीन शिफ्टों में उपलब्ध करायेगा एवं इनकी संख्या को घटाया बढाया जा सकता है।
3. दरें पूरे एक माह का प्रस्तुत करना होगा।
4. सशर्त निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
5. सिक्यूरिटी संस्था द्वारा सुरक्षा गार्डो को साप्ताहिक अवकाश देना होगा। अवकाश अवधि में रिलीवर गार्डो से व्यवस्था करनी होगी।
6. सफल निविदाकार सिक्यूरिटी संस्था निगम भिलाई के सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।
7. आवश्यकतानुसार सुरक्षागार्डो से नगर पालिक निगम भिलाई के अतिक्रमण हटाने अथवा अन्य शासकीय कार्यो में आवश्यकतानुसार कार्य लिया जावेगा।
8. सुरक्षा गार्डो असावधानी एवं लापरवाही पूर्वक किए गए कार्य से यदि निगम को कोई क्षति होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधक सिक्यूरिटी संसथा पर होगी एवं समस्त क्षतिपूर्ति का देनदार होगा।
9. सुरक्षा गार्डो के उनके यूनिफार्म की व्यवस्था प्रबंधक सिक्यूरिटी संस्था की होगी।
10. सुरक्षा गार्डो के उनके कार्य के दौरान होने वाले दुर्घटना से उतपन्न क्षति के लिए बीमा कराने एवं सभी प्रकार की मुआवजा आदि की जवाबदारी प्रबंधन सिक्यूरिटी संस्था की होगी।
11. सुरक्षा गार्डो को वेतन भुगतान की जवाबदारी प्रबंधक सिक्यूरिटी संस्था की होगी। यह भुगतान प्रतिमाह बैंक के माध्यम से सुरक्षा गार्डो को किया जाना अनिवार्य होगा।
12. जी.एस.टी. का भुगतान सफल निविदाकार को करना होगा एवं जी.एस.टी. जोडकर निविदा में दरें दी जानी होगी।
13. श्रमकानून का पालन करना अनिवार्य होगा इसकी संपूर्ण दायित्व एजेंसी की होगी।
14. यह की सिक्यूरिटी संस्था द्वारा सुरक्षा गार्ड को सहायक श्रमायुक्त के निर्धारित दरों पर भुगतान करना होगा।
15. सिक्यूरिटी संस्था द्वारा श्रम आयुक्त के नियमों के अनुसार कार्यरत सुरक्षा गार्डो का EPF एवं ESI की रसीदों की छायाप्रति प्रत्येक माह देयक भुगतान प्रस्तुत करने के पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा।

क्रमाशः

16. कार्य की अवधि के दौरान किए गए कार्य के संबंध मे यदि सुरक्षा गार्डो के विरुद्ध न्यायालयीन कार्यवाही की जाती है तो उसकी ज़वाबदारी प्रबंधक सिक्यूरिटी संस्था की होगी।
17. यह कि किसी भी विवाद के लिए आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
18. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरक्षा गार्ड की उपस्थिति निष्ठा एप के माध्यम से दर्ज कराना अनिवार्य होगा।
19. श्रमायुक्त की दरों में समय–समय में परिवर्तन होने पर एजेंसी को परिवर्तित दर में भुगतान एजेंसी को समयानुसार सुरक्षा गार्डो को करना आवश्यक होगा। नगर पालिक निगम, द्वारा सक्षम स्वीकृति उपरांत अतिरिक्त राशि का भुगतान वापसी एजेंसी को किया जावेगा।
20. निविदाकार द्वारा सहायक श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दर एवं समस्त कर सम्मिलित करते हुए दर कोट किया जाना होगा। प्रस्तुत दर न्यूनतम दर (सहायक श्रमायुक्त + समस्त कर) से कम एवं बराबर होने की स्थिति में स्वीकृति योग्य नहीं होगा।
21. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन सिक्यूरिटी संस्था द्वारा किए जाने पर उनकी सेवाए नगर निगम द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

सहायक अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

उप अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई